(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 48/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 02 फरवरी, 2018

विषयः प्याज की निर्यात नीति– न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाना।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 29.12.2017 की अधिसूचना सं० 43/2015–2020 और दिनांक 19.01.2018 की अधिसूचना सं0 45/2015–20 के साथ पठित दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं० 39/2015–2020 के पैरा 2 को संशोधित करती हैः

2. दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं० 39/2015–20 का संशोधित पैरा 2 अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात अगले आदेशों तक बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अनुमत होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

उपरोक्त यथा वर्णित प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की आवश्यकता अगले आदेशों तक हटायी जाती है और सभी किस्मों की प्याज का बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के अब निर्यात किया जा सकता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी–III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)